

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक : २३/१५८

दिनांक : ११/११/१८

प्रति,

वीरन सिंह भलावी,  
अवर सचिव,  
म0प्र0 शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल(म0प्र0)

विषय:- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित सेवाओं के तहत आवेदनों का निराकरण किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र क्रमांक 1447/1218/2014/38-3 भोपाल दिनांक : 11/12/2017 के संदर्भ में लेख है कि, म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएँ, पदाधिकारी का नाम, पदनाम, शर्त, प्रक्रिया इत्यादि संबंधी जानकारी इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक प्रश/जीविवि/2017/1092 दिनांक:11/08/2017 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक प्रश/जीविवि/2017/1200 दिनांक 12/09/2017 द्वारा सर्वसंबंधित के सूचनार्थ एवं उपयोगार्थ अधिसूचित कर इस कार्यालय की अधिकृत बेवसाईट [www.jiwaji.edu](http://www.jiwaji.edu) पर प्रदर्शित कर दी गई है। तथापि इस संदर्भ में किसी भी आवेदक की ओर कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार प्राप्त आवेदन एवं निराकृत आवेदनों की संख्या निरंक समझी जावे।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि,

- 1) विश्वविद्यालय यंत्री। संलग्न अधिसूचना दिनांक 12/09/2017 के सर्वसंबंधित को सूचनार्थ विश्वविद्यालय के पटल पर प्रदर्शित सम्यक रूप से प्रदर्शित कराने के व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 2) संबंधित पदाधिकारी भी अपने कक्ष/विभाग में किसी कर्मचारी विशेष को लोक सेवा गारंटी संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु चिन्हित कर उनकी नाम पट्टिका लगावे।
- 3) कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 4) कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री छंप कपोटा, इले अपलोड २०/११/१८

उष-कुलसचिव, प्रशासन